



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 29 जून, 2021

आषाढ 8, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या-यू0ओ0-67/छ:-पु0-9-21-167जी-09-न्याय-2

लखनऊ, 29 जून, 2021

अधिसूचना

प0आ0-192

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 49 सन् 1988) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी सरकारी अधिसूचना के क्रम में राज्यपाल, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अपराधों, जिनमें एतदपश्चात् भारत सरकार के विशेष पुलिस अधिष्ठान द्वारा उनके न्यायालयों में आरोप-पत्र दाखिल किये जायें, के विचारण के लिये उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती हैं और यह निर्देश देती हैं कि उक्त क्षेत्रों के भीतर उद्भूत होने वाले ऐसे अन्य मामलों का, जिनमें उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अन्य विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप-पत्र पहले से ही दाखिल कर दिये गये हों और उक्त क्षेत्र के भीतर उद्भूत होने वाले उक्त विशेष पुलिस अधिष्ठान से सम्बन्धित ऐसे अन्य मामलों का भी, जो ऐसे किसी विशेष न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन हो, विचारण और निस्तारण भी उनके द्वारा किया जायेगा और उनका न्यायालय, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में यथा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किया जायेगा, जिनका मुख्यालय गाजियाबाद में होगा।

राज्यपाल अग्रतर नीचे अनुसूची में स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध, सी0बी0आई0, गाजियाबाद में कार्यरत अधिकारियों को, समस्त और साथ ही साथ ऐसे मामलों, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा उल्लिखित अधिकारिता क्षेत्र के लिए भविष्य में दायर किये जा सकते हैं, का निस्तारण करने के लिये तत्काल प्रभाव से सशक्त करती हैं और भविष्य में, उक्त विशेष न्यायालय के पदधारी द्वारा प्रभार का त्याग किये जाने पर पद में उनके उत्तरवर्ती समस्त और साथ ही साथ ऐसे मामलों जो, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा उल्लिखित अधिकारिता क्षेत्र के लिए भविष्य में दायर किये जा सकते हैं, का विचारण और निस्तारण करेंगे।

अनुसूची

क्रम-संख्या	न्यायाधीश का नाम	न्यायालय का नाम	अधिकारिता का क्षेत्र
1	2	3	4
1	श्री मान वर्धन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद	विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निरोध (सी0बी0आई0), न्यायालय नं0-2, गाजियाबाद	सहारनपुर, अमरोहा (जे0पी0 नगर), एटा, बुलन्दशहर, मथुरा और कासगंज
2	श्री राकेश त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद	विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निरोध (सी0बी0आई0) न्यायालय, गाजियाबाद	गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, रामपुर एवं मैनपुरी और एन0आर0एच0एम0 सम्बन्धी समस्त लम्बित मामले और साथ ही साथ ऐसे मामले, जो उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण राज्य के लिए भविष्य में दायर किये जा सकते हैं, के निस्तारण हेतु
3	श्री रविन्द्र प्रसाद गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद	विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निरोध (सी0बी0आई0) न्यायालय सं0-1, गाजियाबाद	गाजियाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर, हाथरस, हापुड़ और सम्भल

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. U.O.-67/VI-P-9-2021-167G-09-Nyay-2, dated June 29, 2021:

No. U.O.-67/VI-P-9-2021-167G-09-Nyay-2

Dated Lucknow, June 29, 2021

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 and sub-section (2) of section 4 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act no. 49 of 1988) (hereinafter referred to as the "said Act") read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), and in continuation of the Government notification issued in this behalf, the Governor is pleased to appoint from the date of their taking over charge the Additional District Judges mentioned in Column-2 of the Schedule below as Special Judges for the areas mentioned in Column-4 of the said Schedule for the trial of such offences as specified in sub-section (1) of section 3 of the said Act in which, hereinafter charge sheets are filed in their Courts by Special Police Establishment of the Government of India, and to direct that such other cases arising within the said areas, in which charge sheets have already been filed before any other Special Judge appointed under the said Act and also such other cases arising within the said area relating to the said Special Police Establishment which are pending before such a Special Judge, shall also be tried and disposed off by them and their court shall be designated as specified in Column-3 of the said schedule with headquarter at Ghaziabad.

The Governor is further pleased to empower the officer as mentioned in Column-2 of the Schedule below holding the Special Court, Anti Corruption, CBI, Ghaziabad for dispose of all as well as cases which may be filed in future for the area of Jurisdiction as mentioned in Column-4 of the said Schedule with immediate effect and in future, upon relinquishing the charge by the incumbent of the said Special Court, his successor in office will try and dispose all as well as cases which may be filed in future for the area of jurisdiction as mentioned in Column-4 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Judge	Name of the Court	Area of Jurisdiction
1	3	4	5
1	Sri Maan Vardhan, Additional District and Sessions Judge, Ghaziabad	Special Court, Anti Corruption, CBI Court no. - 2, Ghaziabad	Saharanpur, Amroha (J. P. Nagar), Etah, Bulandshahr, Mathura and Kasganj
2	Sri Rakesh Tripathi, Additional District and Sessions Judge, Ghaziabad	Special Court, Anti Corruption, CBI, Ghaziabad	Gautam Buddha Nagar, Aligarh, Rampur and Mainpuri and for disposing off all NRHM pending cases, as well as cases which may be filed in future for the entire State of Uttar Pradesh
3	Sri Ravindra Prasad Gupta, Additional District and Sessions Judge, Ghaziabad	Special Court, Anti Corruption, CBI, Court no. - 1, Ghaziabad	Ghaziabad, Moradabad, bijnor, Hathras, Hapur and Sambhal

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
Apar Mukhya Sachiv.